

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी-श्री भगवत सिंह देवल  
राष्ट्रीय लोक अदालत

सिविल प्रकरण संख्या 20/16

तारीख रजू 20/06/2016

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य  
अधिकारी, सवाईमाधोपुर। -आवेदक

बनाम

1. शम्भू रावत पुत्र श्री बद्रीलाल रावत (मौके पर विक्रेता) मैसर्स रावत एजेन्सी पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी कमला फलोर मिल के पास मुनीम पाडा पोस्ट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
2. राम बाबू रावत पुत्र श्री बद्रीलाल रावत (फर्म मालिक) मैसर्स रावत एजेन्सी पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी कमला फलोर मिल के पास मुनीम पाडा पोस्ट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर - अप्रार्थी (अभियुक्त)


न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,  
2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णयः::

दिनांक: 11/02/17

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 20/06/2015 को 02.00 पी.एम. पर मैसर्स रावत एजेन्सी पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के यहां पहुंचा। वहां पर शम्भू रावत पुत्र श्री बद्रीलाल रावत (मौके पर विक्रेता) मैसर्स रावत एजेन्सी पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था। जिसे आवेदक ने अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तत्पश्चात् दुकान व गोदाम का निरीक्षण किया। वहां आम जनता को विक्रय के लिए चाय (रावत) 500 ग्राम के लगभग 40 पोली पेक दुकान की रैंक में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने पर शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली तथा प्रावधानों में विहित विधिक प्रक्रिया की पूर्ण रूप से पालना करते हुए एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर सील बनाकर एवम् दो प्रति फार्म नम्बर 6 अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक गजानन्द लोधा वार्ड बॉय सवाईमाधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक/एफ.एस.एस. 1/2015/3134 दिनांक 29/10/2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक/एफ.एस.एस./2139 /एक्ट/2015/1492 दिनांक 16/10/2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय (रावत) सबस्टेण्डर्ड (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। जिसकी सूचना विक्रेता को दी गयी किन्तु विक्रेता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त प्रकरण में विक्रेता ने मानक (Sub Standard) खाद्य पदार्थ चाय (रावत) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसकी शारित खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन आवेदन में उक्त न्याय आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिकतम जुर्माना लगाया जावे।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया अभियुक्त संख्या 1 व 2 को जरिए सम्मन जारी किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अभियुक्त ने उक्त प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत करने हेतु निवेदन किया। जिस क्रम में आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर

आवेदक ने आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में बयान दर्ज कराते हुए बहस में कथन किया कि विक्रेता का फर्म का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ चाय (रावत) के शुद्धता हेतु नमूना लिया जाकर विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नमूना परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक, जयपुर को भिजवाये गये। खाद्य विश्लेषक जयपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट संख्या/एल.एस../2139 /एक्ट/2015/1492 दिनांक 16/10/2015 में विक्रेता द्वारा उक्त चाय (रावत) अवमानक (Sub Standard) प्रकृति का बताया गया है। नमूना अवमानक (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है, को विक्रय करने का दोष बताया है। आवेदक ने बहस में यह भी उल्लेख किया कि विक्रेता द्वारा विक्रय का कारोबार फर्म स्थल पर खाद्य पदार्थ चाय (रावत) अवमानक स्तर का विक्रय किया जाता है जो खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 एवम् नियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा-2(11) का उल्लंघन किया है जिसकी शास्ति खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 52 में निर्धारित है, के अनुसार शास्ति आरोपित की जावे।

अभियुक्त वकील ने दौराने बहस निवदेन किया कि वह उक्त प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहता है। अभियुक्त ने अवगत कराया कि वह एक लघु व्यवसायी हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नया कानून है। प्रार्थी को उक्त कानून की कोई जानकारी नहीं थी। अभियुक्त खाद्य पदार्थ चाय (रावत) की रीपैकिंग करता है परन्तु ज्ञान के अभाव के कारण नियमों की पालना नहीं कर पाया है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। जिसे वह स्वीकार करता है। अतः उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में करवाया जाकर अभियुक्त को न्यूनतम जुर्माने से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करने का श्रम

आवेदक की बहस सुनने, आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व विक्रेता द्वारा प्रस्तुत उक्त का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अभियुक्त 1 व 2 ने स्वयं अपना जुर्म स्वीकार किया है। विक्रेता द्वारा अवमानक (Sub Standard) खाद्य पदार्थ चाय (रावत) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 एवम् नियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा-2(11) का उल्लंघन करने का दोष सिद्ध होने पर उसें उक्त विनियम का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध करवाया जाये।

अभियुक्त को उक्त आपराधिक कृत्य के दण्डके बिन्दु पर सुना गया। खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 एवम् नियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा-2(11) का उल्लंघन के अन्तर्गत उक्तांकित आपराधिक प्रकृति का कृत्य कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत शास्ति शास्ति के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं। अभियुक्त लघु व्यवसायी है व उक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार कारित किया जाना पाया जाता है। जिसे अभियुक्त को न्यूनतम स्वीकार किया है एवं अभियुक्त उक्त प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक भावना से करवाना चाहता है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 49 में अंकित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त 1 व 2 को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम, 2011 के नियम '51 व 52 के अन्तर्गत 2000-2000 ( दो- दो हजार ) रूपये की आर्थिक शास्ति आरोपित की जाकर भविष्य में ऐसी त्रुटि की गारंटी न करने के लिए निर्देशित किया जाता है: तथा विक्रेता (अभियुक्तगण) को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आरोपित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर -भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णय अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को (यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या अन्यथा व्यक्ति को) परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत खुले न्यायालय में

11/2/17

म.स.देवल

(भगवतसिंह देवल)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम्  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर